न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 75/2015
पंजीयन दिनांक 03.07.2015

(1). रामचंद्र पिता चुना जाति चमार निवासी केसरपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(2). लखमीचंद पिता भैरा जाति चमार निवासी केसरपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(3). गोकल पिता नंदा जाति चमार निवासी केसरपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अपीलान्टगण

बनाम

(1). रामा पिता माधु जाति मीणा निवासी केसरपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(2). संगीता पुत्री रामलाल जाति जटिया नाबालिग बबलायत जरिये पिता रामलाल जटिया निवासी स्टेशन पॉडोली, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

(3). देवली पिता रामलाल जाति जटिया नाबालिग बबलायत जरिये पिता रामलाल जटिया निवासी स्टेशन पॉडोली, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

(4). उदा पिता माधुलाल जाति जटिया निवासी नारखोला नाबालिग बबलायत पिता माधुलाल जाति जटिया निवासी नारखोला पंचायत पाल तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(5). गीता पुत्री चुना चमार निवासी केसरपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(6). घीसी बेवा चुना चमार निवासी केसरपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(7). राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(8). राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अतंर्गत धारा 223 राज0काश्त0अधि0 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 209/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थित वक्त बहस–(1). राजेन्द्र राजोरा– अधिवक्ता अपीलांट
(2). रतनलाल कुमावत– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). रमेशचन्द पालीवाल– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3
(4). रेस्पोडेन्ट संख्या 4– अनुपस्थित
(5). कालुलाल सुथार– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6
(6). पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 7 व 8

निर्णय **दिनांक 30.06.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि मौजा केसरपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ की साबिक आराजी संख्या 89/5 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा जो वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की दिनांक 13.06.1986 से क्रयशुदा होकर कब्जे काश्त चली आ रही है। वक्त भू-प्रबन्ध साबिक आराजी के नवीन आराजी नम्बर 90 रकबा 0.76 हैक्टेयर, आराजी संख्या 91 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर ही दर्ज होकर 0.63 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज हुआ। उक्त कमी रकबा 0.63 हैक्टेयर आराजी संख्या 92 में दर्ज कर दिया। हाल आराजी संख्या 92मी. रकबा 2.34 हैक्टेयर में से 0.34 हैक्टेयर पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा है। आराजी संख्या 93 रकबा 0.17 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर, आराजी संख्या 95 रकबा 0.52 हैक्टेयर में से 0.07 हैक्टेयर, आराजी संख्या 89 रकबा 0.57 हैक्टेयर में से 0.06 हैक्टेयर व आराजी संख्या 88 रकबा 0.76 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा है, जो कि कमीशनरी रिपोर्ट से स्पष्ट है। इसलिए वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कमी रकबा की पूर्ति करवाने का अधिकारी है जिसके लिए वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में घोषणात्मक डिक्री जारी की जाकर कमी रकबा की पूर्ती कराई जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2015 को निर्णित किया जाकर आदेशित किया कि मौजा केसरपुरा की आराजी संख्या 91 रकबा 0.15 हैक्टेयर पर से प्रतिवादी अपीलांट संख्या 1 का कब्जा हटाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कब्जा दिलाया जावें एवं मौजा केसरपुरा की आराजी संख्या 88 रकबा 0.76 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 89 रकबा 0.57 हैक्टेयर में से 0.06 हैक्टेयर, आराजी संख्या 95 रकबा 0.52 हैक्टेयर में से 0.07 हैक्टेयर व आराजी संख्या 93 रकबा 0.17 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर तथा आराजी संख्या 92 मी. रकबा 2.34 हैक्टेयर में से 0.34 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 की साबिक आराजी संख्या 78/5 रकबा 9 बीघा अनुसार नवीन आराजी संख्या 93, 94, 95, 96, 98, 99 कुल किता 6 कुल रकबा 2.44 हैक्टेयर का भी साबिक रकबे अनुसार रकबा नाप कर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 को तथा इसी प्रकार अन्य पक्षकारो को भी उनके साबिक रकबे अनुसार कमी रकबे की पूर्ति नवीन नम्बरों में उभयपक्षकारान को नाप कर कब्जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिलाये जाने हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को आदेशित कर तदनुसार डिक्री जारी की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3,5,6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या अनुपस्थित रहा। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपील में यह तथ्य अंकित किये कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रकरण में पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत होने के बावजूद पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम उदपुरा में दिनांक 27.05.2015 को नियत की जाकर बिना तनकियात कायम किये व सभी पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध किये बिना ही वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादपत्र स्वीकार कर निर्णित किया गया जो कि न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी तथ्य अंकित किये कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रकरण में सभी पक्षकारों की तामील नहीं होकर उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 की ओर से काउंटर क्लेम पेश किया गया जिसके संबंध में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया एवं वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 की आराजीयात के पुराने व नवीन खाते व खसरे की जमाबंदी पेश नहीं की ओर न ही वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वयं का कमी रकबा अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 के खाते में अधिक दर्ज होने के तथ्यों को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया है, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादपत्र स्वीकार कर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी तथ्य अंकित किये कि कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 28.10.2006 को अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 व पडौसी खातेदारान की अनुपस्थिति में तैयार की जाकर उक्त कमिश्नर रिपोर्ट को आधार मानकर आपसी समझाइश के झूठे तथ्य लिखकर वादपत्र डिक्री किया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कब्जेयाबी की प्रार्थना नहीं की गयी फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 के विरूद्ध कमी रकबे की कब्जेयाबी का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है ।साथ ही अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 की खातेदारी में रकबा पूर्वानुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रकरण वास्ते कायमी तनकीयात नियत था जिसे लोक अदालत में नियत किया जाकर सभी पक्षकारान की गैरमोजूदगी होने के उपरांत भी लोक अदालत की भावना से परे जाकर निर्णित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में सभी पक्षकारान की उपस्थिति के बारे में कोई व्याख्या नहीं की गई, अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 के काउंटर क्लैम पर कोई विचार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में व्यक्त नहीं किया। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादपत्र में स्वयं के कमी रकबे .63 हैक्टेयर को खातेदारी में दर्ज किये जाने हेतु दाद चाही गयी है तथा उक्त कमी रकबा खसरा नम्बर 92 में शामिल होना बताया गया है । चूंकि खसरा संख्या 92 के खातेदार भूमिधारी तहसीलदार है फिर भी अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 की खातेदारी भूमि से कब्जा हटाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कमी रकबा की पूर्ति किये जाने का निर्णय पारित किया गया जो कि न्यायोचित नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।

हमने विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी । अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मौजा केसरपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ की साबिक आराजी संख्या 89/5 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा दिनांक 13.06.1986 को क्रय की जाकर उक्त आराजी से नवीन नम्बर 90 व 91 बने जिनका रकबा क्रमशः 0.76 हैक्टेयर व 0.15 हैक्टेयर कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर बना। इस प्रकार पूर्वानुसार रकबे मे से 0.63 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज हो जाने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत किया। उक्त दावे में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कमी रकबे की भूमी को अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 के खातेदारी में दर्ज होना दस्तावेजो से प्रमाणित करवाये जाने के पश्चात अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण को पक्षकारो की सहमति के आधार पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निर्णित किया है जो कि न्यायोचित होने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांटगण अस्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 27.05.2015 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण दिनांक 15.09.2014 को वास्ते कायमी तनकीयात नियत किया गया। जिसके लिये आगामी तारीख पेशी 20.10.2014 नियत की गयी, जो कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.09.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है। तत्पश्चात दिनांक 20.10.2014 से लेकर दिनांक 27.05.2015 को प्रकरण के लोक अदालत में नियत किये जाने तक की विभिन्न तारीख पेशीयों मे पत्रावली में तनकीयात कायम नही की गयी। पत्रावली दिनांक 27.05.2015 को लोक अदालत कैम्प में रखी जाकर सभी पक्षकारान की उपस्थिति के बिना व बिना राजीनामे के वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादपत्र स्वीकार किये जाने का

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय व डिक्री पारित की गई जो कि लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। लोक अदालत विशुद्ध रूप से सभी पक्षकारान के मध्य सुलह व राजीनामे से संबंधित है, इसलिये लोक अदालत में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र सभी पक्षकारान के मध्य राजीनामें के आधार पर निर्णित किया जाना आवश्यक था परन्तु लोक अदालत मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य बिना राजीनामे के निर्णय व डिक्री पारित की गयी जो कि न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 209/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर, अजसरे ,तनकीवार नवनिर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)